दिनांक 24.01.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, धनबाद की अध्यक्षता में आयोजित DMFT Governing Council के बैठक की कार्यवाही:–

दिनांक 24.01.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, धनबाद की अध्यक्षता में जिला खनिज फ़ाउण्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नांकित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय विधायक, टुण्डी विधानसभा क्षेत्र।
2. श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय विधायक, झरिया विधानसभा क्षेत्र।
3. अध्यक्ष, नगर परिषद, चिरकुण्डा।
4. प्रतिनिधि, माननीय विधायक बाघमारा विधानसभा क्षेत्र।
5. प्रतिनिधि, माननीय विधायक सिन्दरी विधानसभा क्षेत्र।
6. वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद।
7. उप विकास आयुक्त–सह–सचिव, DMFT, धनबाद।
8. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद।
9. असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद।
10. जिला योजना पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, DMFT, धनबाद।
11. जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद।
12. जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद।

उपरोक्त जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के अतिरिक्त सभी प्रखण्ड मुख्यालयो से धनबाद जिला के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी प्रमुख तथा सभी ग्राम पंचायतों के मुखियागणों ने Online VC के माध्यम बैठक में भाग लिया गया। संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में उनकी उपस्थिति पंजी में दर्ज की गई।

2. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, धनबाद के निदेशानुसार उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव, DMFT, धनबाद के द्वारा प्रारंभिक संबोधन करते हुए सर्वप्रथम न्यास परिषद में उपस्थित सहभागी सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं पदाधिकारी तथा Online VC के माध्यम से जुड़े सभी प्रखण्ड प्रमुखों, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं मुखियागणों का स्वागत किया गया एवं बैठक के एजेन्डा एवं कार्यसूची से अवगत कराया गया।

3. बैठक में एजेण्डा के अनुरूप निम्न प्रस्ताव DMFT न्यास परिषद के समक्ष उपस्थापित किया गया एवं निम्न विवरण के अनुसार निर्णय लिया गया।

4. **<u>गोविन्दपुर–निरसा (North Zone) उत्तरी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने संबंधी प्रस्ताव</u>**:–सरकार के संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–**7/विविध–1–17/2016–22**, रॉची, दिनांक **03.01.2023** के द्वारा संसूचित किया गया है कि धनबाद जिलान्तर्गत District Mineral Fund से स्वीकृत गोविन्दपुर–निरसा उत्तरी बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था परन्तु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ससमय कार्य नही किये जाने के उपरांत विभाग द्वारा संबंधित एजेन्सी के साथ हुए एकरारनामा को Rescind कर दिया गया है। तदुपरांत प्रसंगाधीन योजना के बचे हुए कार्यो की मापी कराते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है।

पुनरीक्षण के उपरांत योजना की कुल प्राक्कलित राशि **मो0 616.9760 करोड (छः अरब सोलह करोड सन्तानवे लाख साठ हजार रूपये)** रू0 पर मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक–**72(CDO)**, दिनांक **06.12.2022** द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रसंगाधीन योजना का क्रियान्वयन District Mineral Fund से प्राप्त राशि से किया जा रहा था., फलस्वरूप प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षण के उपरांत बढोतरी की राशि का वहन भी District Mineral Fund से ही किया जाना होगा जिसके क्रम में सरकार के संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकि स्वीकृति के आलोक मे पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव को जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद से नियमानुसार पारित कराकर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराने हतु अनुरोध किया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सं0–01, धनबाद के पत्रांक–**1814**, दिनांक **15.12.2022** के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के संबंध में निम्न विवरण के अनुसार समर्पित विस्तृत विवरण के आलोक में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में DMFT Governing Council से प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षण की स्वीकृति/अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव है–

मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	जिला से अबतक विमुक्त राशि	कुल व्यय	शेष कार्यो के लिये वर्तमान SOR पर मुख्य अभियंता के द्वारा प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति की राशि	मूल प्राक्कलन में वृद्धि की राशि एवं प्रतिशत	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद के पत्रांक–1814 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार वृद्धि का कारण	अभ्युक्ति/योजना की उपयोगिता के संबंध में विवरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
483.9745 करोड़ रू0	240.00 करोड़ रू0	105.97 करोड़ रू0	616.976 करोड़ रू0 Vide Letter No.-72(CDO) Dated-06.12.2022	133.0015 करोड़ रू0 **(27.48 %)**	1) पूर्व का प्राक्कलन 2016 के SOR पर आधारित था। 2) वर्त्तमान प्राक्कलन 2022 के SOR पर आधारित (2016 के SOR की तुलना 2022 के SOR में Overall 50% दर (लगभग) की वृद्धि हुई। 3) पहले Intake Well का कार्य Open Excavation Method से किया जाना था लेकिन वर्त्तमान प्राक्कलन में Pilling Method से किया जाना है जिस कारण 08 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई है। 4) पूर्व के प्राक्कलन में GST का प्रावधान नही था। वर्तमान प्राक्कलन में 18% GST का प्रावधान किया गया है।	I. लाभान्वित प्रखण्डों का नाम–निरसा, गोविन्दपुर, कलियासोल एवं एग्यारकुण्ड प्रखण्डों के जी0टी0 रोड का उत्तरी भू–भाग। II. लाभान्वित गॉवों की सं0–301 III. इस योजना के पूर्ण होने से 77,000 परिवार को FHTC (**Functional Household Tap Connection**) प्राप्त होगा।

<u>निर्णयः</u>– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–01, धनबाद के द्वारा समर्पित उक्त विवरण/प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत प्रसंगाधीन पेयजलापूर्ति से संबंधित प्रसंगाधीन उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उक्त योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने के मद्देनजर मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकि स्वीकृति की राशि मो0 **616.976 करोड़ (छः अरब सोलह करोड सन्तानवे लाख साठ हजार रूपये)** रू0 के आधार पर मूल प्राक्कलित राशि/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में **मो0 133.0015 करोड (एक अरब तैतीस करोड पंद्रह हजार) रू0** राशि की बढोतरी **(27.48%)** सहित प्रसंगाधीन योजना के लिए कुल मो0 **616.976 करोड़ (छः अरब सोलह करोड सन्तानवे**

लाख साठ हजार रूपये) रू0 की राशि की District Mineral Fund के अन्तर्गत स्वीकृति/सहमति के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के द्वारा सहमति/अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षण के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद के द्वारा DMFT कार्यालय, धनबाद से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

5. **गोविन्दपुर–निरसा (South Zone) दक्षिणी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने संबंधी प्रस्तावः–** सरकार के संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–**7/विविध–1–17/2016–22**, रॉची, दिनांक **03.01.2023** के द्वारा संसूचित किया गया है कि धनबाद जिलान्तर्गत District Mineral Fund से धनबाद जिलान्तर्गत District Mineral Fund से स्वीकृत गोविन्दपुर–निरसा दक्षिणी बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था परन्तु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ससमय कार्य नही किये जाने के उपरांत विभाग द्वारा संबंधित एजेन्सी के साथ हुए एकरारनामा को Rescind कर दिया गया है। तदुपरांत प्रसंगाधीन योजना के बचे हुए कार्यो की मापी कराते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। पुनरीक्षण के उपरांत योजना की कुल प्राक्कलित राशि **मो0 325.3593 करोड(तीन अरब पच्चीस करोड पैंतीस लाख तिरानवे हजार)** रू0 पर पर मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक–**72(CDO),** दिनांक **06.12.2022** द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रसंगाधीन योजना का क्रियान्वयन District Mineral Fund से प्राप्त राशि से किया जा रहा था., फलस्वरूप प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षण के उपरांत बढोतरी की राशि का वहन भी District Mineral Fund से ही किया जाना होगा जिसके क्रम में सरकार के संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकि स्वीकृति के आलोक मे पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद से नियमानुसार पारित कराकर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराने हतु अनुरोध किया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सं0–01, धनबाद के पत्रांक–**1815**, दिनांक **15.12.2022** के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के संबंध में निम्न विवरण के अनुसार समर्पित विस्तृत विवरण के आलोक में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में DMFT Governing Council से प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षण की स्वीकृति/अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव है–

मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	जिला से अबतक विमुक्त राशि	कुल व्यय	शेष कार्यो के लिये वर्तमान SOR पर मुख्य अभियंता के द्वारा प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति की राशि	मूल प्राक्कलन में वृद्धि की राशि एवं प्रतिशत	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद के पत्रांक–1815 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार वृद्धि का कारण	अभ्युक्ति/योजना की उपयोगिता के संबंध में विवरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
233.1730 करोड़ रू0	150.00 करोड़ रू0	56.3579 करोड़ रू0	325.3393 करोड़ रू0 Vide Letter No.-72(CDO) Dated-06.12.2022	92.1663 करोड़ रू0 **(39.52%)**	1) पूर्व का प्राक्कलन 2016 के SOR पर आधारित था। 2) वर्त्तमान प्राक्कलन 2022 के SOR पर आधारित (2016 के SOR की तुलना 2022 के SOR में Overall 50% दर (लगभग) की वृद्धि हुई।	I. लाभान्वित प्रखण्डों का नाम–निरसा, गोविन्दपुर, कलियासोल एवं एग्यारकुण्ड प्रखण्डों के जी0टी0 रोड का दक्षिणी भू–भाग। II. लाभान्वित गॉवों की सं0–149 III. इस योजना के पूर्ण होने से 49,000 परिवार को FHTC

मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	जिला से अबतक विमुक्त राशि	कुल व्यय	शेष कार्यो के लिये वर्तमान SOR पर मुख्य अभियंता के द्वारा प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति की राशि	मूल प्राक्कलन में वृद्धि की राशि एवं प्रतिशत	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद के पत्रांक–1815 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार वृद्धि का कारण	अभ्युक्ति / योजना की उपयोगिता के संबंध में विवरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					3) पहले Intake Wall का कार्य Open Excavation Method से किया जाना था लेकिन वर्तमान प्राक्कलन में Pilling Method से किया जाना है जिस कारण **13.5 करोड़ रू0** की वृद्धि हुई है। 4) पूर्व के प्राक्कलन में GST का प्रावधान नही था, वर्तमान प्राक्कलन में **18% GST** का प्रावधान किया गया है।	**(Functional Household Tap Connection)** प्राप्त होगा।

<u>निर्णयः</u>– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–01, धनबाद के द्वारा समर्पित उक्त विवरण / प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत प्रसंगाधीन पेयजलापूर्ति से संबंधित प्रसंगाधीन उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उक्त योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने के मद्देनजर मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकि स्वीकृति की राशि **मो0 325.3393 करोड (तीन अरब पच्चीस करोड तैंतीस लाख तिरानवे हजार) रू0** के आधार पर मूल प्राक्कलित राशि / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में **मो0 92.1663 करोड (बानवे करोड सोलह लाख तिरसठ हजार) रू0** राशि की बढोतरी **(39.52%)** सहित प्रसंगाधीन योजना के लिए कुल **मो0 325.3393 करोड (तीन अरब पच्चीस करोड तैंतीस लाख तिरानवे हजार) रू0** की राशि की District Mineral Fund के अन्तर्गत स्वीकृति / सहमति के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के द्वारा सहमति / अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षण के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद के द्वारा DMFT कार्यालय, धनबाद से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

6. **<u>बाघमारा प्रखण्ड के पथलगडिया एवं आसन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने संबंधी प्रस्ताव</u>**:– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सं0–02, धनबाद के पत्रांक–**567**, दिनांक **04.07.2022** के द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रसंगाधीन योजना के लिए Approved Designed & Drawing के परिपेक्ष्य में Site Condition एवं Actual Work Done के आधार पर मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक–**9/CDO/77/16-526**, दिनांक **21.06.2022** के द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकि स्वीकृति की राशि **मो0 11.32833 करोड (ग्यारह करोड बत्तीस लाख तैरासी हजार तीन सौ) रू0** पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। प्रसंगाधीन योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सं0–02, धनबाद के द्वारा निम्न विवरण के अनुसार विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसपर दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में DMFT Governing Council के स्वीकृति / अनुमोदन का प्रस्ताव है –

क्र0	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	जिला से अबतक विमुक्त राशि	कुल व्यय	पूर्व व्यय के विरूद्ध सम्पादित भौतिक कार्य	शेष कार्यों के लिये वर्तमान SOR पर मुख्य अभियंता के द्वारा प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति की राशि	मूल प्राक्कलन में वृद्धि की राशि एवं प्रतिशत	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–2, धनबाद के पत्रांक–567 दिनांक 04.07.2022 के अनुसार वृद्धि का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9.2785 करोड़ रू0	9.00 करोड़ रू0	9.00 करोड़ रू0	योजना का कार्य पूर्ण	11.32833 करोड़ रू0 Vide Letter No.-09/CDO/77/16-526, Dated-04.07.2022	2.04983 करोड़ रू0 (22.09%)	1) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में Distribution System के लिये 360.52 लाख का प्रावधान था लेकिन Approved Design & Drawing के आधार पर Excess Pcc Road cutting, Increased Sluice Valve with Chamber & Increase of 180 meter Pipe की वृद्धि के कारण Revised Estimate में Actual Work done के परिपेक्ष्य में Distribution System के लिये मो0–5.8526 करोड़ रु0 का प्रावधान है जिसके कारण इस Component में 2.2473 करोड़ रु0 की वृद्धि हुई है। 2) Intake Well के Height में वृद्धि के कारण मो0–05.62 लाख रु0 की वृद्धि हुई है। 3) RCC Gangway में 28 मीटर लम्बाई की वृद्धि के कारण मो0–15.888 लाख रु0 की वृद्धि हुई है। 4) कुछ Component में स्वीकृति प्राक्कलन के प्रावधान के अनुरूप Saving भी हुआ है।

निर्णयः– उक्त तथ्यों के आलोक में एवं मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉची के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के लिए प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकि स्वीकृति की राशि **मो0 11.32833 करोड (ग्यारह करोड बत्तीस लाख तैरासी हजार तीन सौ) रू0** के आधार पर मूल प्राक्कलित राशि/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में **मो0 2.04983 करोड (दो करोड चार लाख अंठानवे हजार तीन सौ) रू0** राशि की बढोतरी (**22.09%**) सहित प्रसंगाधीन योजना के लिए कुल **11.32833 करोड (ग्यारह करोड बत्तीस लाख तैरासी हजार तीन सौ) रू0** की राशि की District Mineral Fund के अन्तर्गत स्वीकृति/सहमति के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के द्वारा सहमति/अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रसंगाधीन योजना के पुनरीक्षण के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति/सहमति हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–2, धनबाद के द्वारा DMFT कार्यालय, धनबाद से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

7. **बलियापुर प्रखण्ड के पूर्ण आच्छादन ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने संबंधी प्रस्तावः**— कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—02, धनबाद के पत्रांक—**1212**, दिनांक **19.01.2023** के द्वारा बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बलियापुर प्रखण्ड पूर्ण आच्छादन ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेज—02 के मूल प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन में GST का प्रावधान नहीं रहने तथा संवेदक के साथ संपादित एकरारनामा में GST का प्रावधान किये जाने से प्रसंगाधीन योजना के मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में **मो0 121.49542 लाख रू0 (1.63%) की वृद्धि हुई** है। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—02, धनबाद के द्वारा प्रसंगाधीन योजना के संबंध में निम्न विवरण के अनुसार विस्तृत प्रतिवेदन भेजते हुए बढोतरी की राशि **मो0 121.49542 लाख रू0** के व्यय करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जिसपर दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में DMFT Governing Council के सहमति/अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव है—

क्र0	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	जिला से अबतक विमुक्त राशि	कुल व्यय	पूर्व व्यय के विरूद्ध सम्पादित भौतिक कार्य	संशोधित प्राक्कलित राशि	मूल प्राक्कलन में वृद्धि की राशि एवं प्रतिशत	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद के पत्रांक—1212 दिनांक 19.01.2023 के अनुसार वृद्धि का कारण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	7453.73155 लाख रू0	7299.14193 लाख रु0	6393.30 लाख रू0	6330.166 लाख रू0	योजना पर Civil कार्य पूर्ण, Testing कार्य प्रगति पर तथा 65% House Connection का कार्य पूर्ण।	7575.22697 लाख रू0	121.49542 लाख रू0 (1.63%)	1) मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0—7453.73155 लाख रु0 में GST की राशि का प्रावधान नहीं था। 2) एकरारनामा की राशि 7299.14193 लाख रु0 में 12% GST के रूप में मो0—846.5765 लाख रु0 का प्रावधान किया गया है। 3) लेकिन पूर्व में संवेदक को भुगतान की गयी राशि मो0—6393.30 लाख रु0 में 12% GST के दर से मो0—767.196 लाख रु0 सन्निहित है। अवशेष भुगतान की राशि मो0—1060.43155 लाख रु0 में 18% GST के रूप में मो0—190.87768 लाख रु0 का प्रावधान करना होगा। 4) इस प्रकार कुल GST की राशि के रूप में मो0—958.07368 लाख रु0 सहित संशोधित प्राक्कलित राशि मो0—7575.22697 लाख रू0 पर संशोधित स्वीकृति अपेक्षित है।

निर्णयः— उक्त तथ्यों के आलोक में एवं कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—02, धनबाद के द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत प्रसंगाधीन योजना के मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मे GST की राशि का प्रावधान नही होने एवं एकरारनामा की राशि मे GST का प्रावधान होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—02, धनबाद के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के

आधार पर प्रसंगाधीन योजना के लिए मूल प्राक्कलित राशि/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि **मो0–7453.73155 लाख़ रू0** में **मो0 121.49542 लाख (एक करोड इक्कीस लाख उनचास हजार पॉच सौ बयालीस)** राशि की बढोतरी **(1.63%)** सहित प्रसंगाधीन योजना के लिए कुल संशोधित प्राक्कलित राशि **मो0 7575.22697 लाख़ (पचहत्तर करोड पचहत्तर लाख बाईस हजार छः सौ संतानवे) रू0** की राशि की District Mineral Fund के अन्तर्गत स्वीकृति/सहमति के संबंध में **दिनांक 19.01.2023 को आयोजित** DMFT Management Committee की बैठक में लिये गये निर्णय का DMFT Governing Council **के द्वारा** अनुमोदन प्रदान करते हुये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–2, धनबाद के द्वारा DMFT कार्यालय, धनबाद से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

8. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, धनबाद से जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव :—कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, धनबाद के पत्रांक–**41** दिनांक **16.01.2023** के द्वारा धनबाद जिलान्तर्गत पूर्व से संचालित विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित निम्न विवरण के अनुसार प्रसंगाधीन 05 जलापूर्ति योजनाओं के प्राक्कलन का सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर वर्ष 2022–23 मे District Mineral Fund के अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु समर्पित किया गया है जिसकी दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Management Committee की बैठक मे लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के अनुमोदन का प्रस्ताव है :—

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	प्रखण्ड	योजना/कार्य का नाम	तकनीकि स्वीकृत की राशि	कार्यपालक अभियंता के द्वारा योजना के संबंध में प्रतिवेदन।	DMFT Governing Council के द्वारा स्वीकृत राशि
01	Nirsa	Estimate for Supplying Installation Testing and Commissioning of 02 Set of New 160KW VT Pump Sets and its allied work at Raw Water Pumping Plant, Gogna Maithan of Dhanbad Phase-II	117.57107	पम्प–मोटर का जीवन काल समाप्त हो चुका है। जिसके कारण अक्सर Breakdown होने से जलापूर्ति अनियमित हो ज़ाता है। तीन पम्प में मात्र 01 पम्प चालू अवस्था में है। जलापूर्ति बन्द होने से मैथन, कुमार डुबी, एगारकुण्ड, निरसा, एवं मुगमा के लगभग 25 हजार से ज्यादा आबादी की जलापूर्ति बाधित हो जाता है।	117.57107
02	Baghmara	Estimate for Supplying Installation Testing and Commissioning of Centrifugal Pump Set and V.T. Pump Sets with its allied Work at Katras	137.03956	यहाँ तीन स्टेज में पम्प लगा हुआ है। पम्प–मोटर काफी पुराना एवं जर्जर हो चुका है। पम्प–मोटर का जीवन काल समाप्त हो चुका है। हमेशा Breakdown की स्थिति से जलापूर्ति बाधित हो जाता है। जिसके कारण कतरास एरिया के वार्ड–01 एवं वार्ड–03 तथा खानूडीह के लगभग 20 हजार आबादी की जलापूर्ति बाधित हो जाता है।	137.03956
03	Baliapur	Estimate for Repairing and overhauling of 75HP V.T. Pump set at Raw Water P/Plant and SITC of 100HP HSC, Motor control Panel Cable, 11KV DP Structure and its allied works at Clear Water P/Plant at Sindri.	72.29483	सिन्दरी WTP के छः पम्प काफी जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण जलापूर्ति एक टाईम भी पूरी तरह नहीं हो पाता है। 14.5MLD में मात्र 05MLD हीं पानी का Supply हो पाता है। हमेशा Pump Breakdown होते रहता है। यहाँ काण्ड्रा, BIT Campus, चास नाला, रांगामाटी, मोहलबनी एवं डिगवाडीह के 05 टावरों को पानी जाता है। लगभग 25 हजार आबादी को यहाँ से जलापूर्ति की जाती है। पनी का कम Supply होने से जनता को दोनो टाईम पानी Supply नहीं मिल पाता है।	72.29483

क्र0	प्रखण्ड	योजना/कार्य का नाम	तकनीकि स्वीकृत की राशि	कार्यपालक अभियंता के द्वारा योजना के संबंध में प्रतिवेदन।	DMFT Governing Council के द्वारा स्वीकृत राशि
04	Nirsa	Estimate for complete Renovation work with supply Installation Testing and Commissioning of Pump Sets, Motor Control Panels, Cables and its allied works of Raw Water and Clear Water P/Plant at Multi-Village Rural Water Supply Scheme. Pandra	42.86510	पम्प–मोटर काफी पुराना एवं जर्जर अवस्था में है। Standby भी पम्प नहीं है। Scheme बहुत पुराना होने से सभी पम्प–मोटर अपना जीवन काल समाप्त कर चुके है। यहाँ से उपचुरिया पंचायत का पोदारडीह, खुसरी पंचायत का कुन्थल, पाण्ड्रा पुर्वी पंचायत का संबंधपुर तथा पाण्ड्र पश्चिमी पंचायत का पाण्ड्रा मोड़ एरिया को जलापूर्ति की जाती है। स्थानीय विधायक महोदया का भी इसे अविलम्ब बदलने का प्रस्ताव दिया गया है।	42.86510
05	Govindpur	Estimate for Supplying Installation Testing and Commissioning of Centrifugal Pump set, and its allied work at Clear Water P/Plant for Govindpur	28.76051	पम्प–मोटर काफी पुराना हो चुका है। यह अपना जीवन काल समाप्त कर चुका है। हमेशा Pump Motor Breakdown होते रहता है, जिससे गोविन्पुर एरिया को पानी Supply नहीं हो पाता है। इससे लगभग 08 हजार जनसंख्या को पानी का दिक्कत होने लगता है।	28.76051
		Total	**398.53107**		**398.53107**

निर्णय :– उक्त तथ्यों के आलोक में एवं सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति के आधार पर प्रसंगाधीन उक्त 05 योजनाओं के नाम के समक्ष स्तंभ–06 में अंकित योजनावार राशि यानि कुल **मो0 398.53107 लाख (तीन करोड अनठानवे लाख तिरपन हजार एक सौ सात) रू0** पर सचिव, पेजयल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की सहमति होने के शर्त्त के साथ वर्ष 2022–23 में District Mineral Fund के अंतर्गत दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Managing Committee के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में लिये गये निर्णय का DMFT Governing Council के द्वारा अनुमोदन करते हुये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता (यांत्रिक) प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा DMFT कार्यालय, धनबाद से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

9. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक–**310**, दिनांक **04.11.2022**, पत्रांक–**311**, दिनांक **04.11.2022**, पत्रांक–**312**, दिनांक **04.11.2022** एव पत्रांक–**313**, दिनांक **04.11.2022** के द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, धनबाद के पत्रांक–**1530**, दिनांक **02.11.2022**, पत्रांक **1531**, दिनांक **02.11.2022**, पत्रांक–**1532**, दिनांक **02.11.2022** एवं पत्रांक–**1537**, दिनांक **02.11.2022** के द्वारा से प्रेषित स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के निम्नांकित योजनाओं का प्राक्कलन दिनांक **28.07.2022** से प्रभावी वर्त्तमान अनुसूचित दर (SOR) पर तैयार कर सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर District Mineral Fund के अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति/स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है जिससे संबंधित विवरणी निम्न है एवं निम्न विवरणी के अनुसार योजनाओं के नाम के समक्ष स्तंभ–05 में अंकित योजनावार तकनीकि स्वीकृति की राशि पर District Mineral Fund के अंतर्गत प्रसंगाधीन योजनाओं का कार्यान्वयन कराने/स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में दिनांक 19.01. 2023 को आयोजित DMFT Managing Committee की बैठक में लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council से अनुमोदन का प्रस्ताव है–

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य0अभि0, वि0का0प्र0, धनबाद का पत्रांक एवं दिनांक	प्रखण्ड का नाम	योजना/कार्य का नाम	दिनांक 28.07.2022 से प्रभावी SOR पर प्रदत्त तकनीकि स्वीकृत की राशि	DMFT Governing Council के द्वारा स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	1532/ 02.11.22	DMC	ए0एन0एम0 छात्रावास एवं सदर अस्पताल कैंपस, धनबाद में नये सिरे से विद्युत वायरिंग एवं इन्भर्टर वायरिंग के साथ छात्रावास के छत पर एल0ई0डी स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन।	26.96	26.96
2	1537/ 02.11.22	DMC	सदर अस्पताल, धनबाद परिसर में अवस्थित पोल पर लगे स्ट्रीट लाईट की मरम्मति कार्य।	6.46	6.46
3	1531/ 02.11.22	DMC	सदर अस्पताल, धनबाद परिसर स्थित वेयर हाउस में नये सिरे से विद्युत वायरिंग का कार्य एवं वेयर हाउस के चारो तरफ स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन।	15.38	15.38
4	1530/ 02.11.22	DMC	सदर अस्पताल, धनबाद परिसर में अवस्थित TB LAB मे नये सिरे से विद्युत वायरिंग	7.06	7.06
			कुल	**55.86**	**55.86**

निर्णयः– उक्त तथ्यों के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद के अनुशंसा एवं सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति के आधार पर उक्त 04 योजनाओं के नाम के समक्ष स्तंभ–06 में अंकित योजनावार राशि यानि कुल **मो0 55.86 लाख (पचपन लाख छियासी हजार) रू0** पर District Mineral Fund के अंतर्गत कार्यान्वयन कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Managing Committee की बैठक में लिये गये निर्णय का DMFT Governing Council के द्वारा अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद **के पत्रांक–59, दिनांक 18.01.2023** के द्वारा दिनांक **28.07.2022** से वर्त्तमान में प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) पर तैयार कर सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर District Mineral Fund के अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है जिससे संबंधित विवरण निम्न है एवं निम्न विवरणी के अनुसार योजना के नाम के समक्ष स्तंभ 05 में अंकित तकनीकि स्वीकृति की राशि पर District Mineral Fund के अंतर्गत प्रसंगाधीन योजना का कार्यान्वयन कराने के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Managing Committee की बैठक मे लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के अनुमोदन का प्रस्ताव हैः–

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य0अभि0, ग्रा0का0प्र0, धनबाद का पत्रांक एवं दिनांक	प्रखण्ड का नाम	योजना/कार्य का नाम	दिनांक 28.07.2022 से प्रभावी SOR पर प्रदत्त तकनीकि स्वीकृत की राशि	DMFT Management Committee के द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	59/ 18.01.2023	बलियापुर	बलियापुर मौजा धोखरा, अंचल बलियापुर में कुष्ठ रोगियों को बन्दोबस्त किये गये भूमि पर चाहरदिवारी निर्माण।	24.99765	24.99765
			Total	**24.99765**	**24.99765**

निर्णयः— उक्त तथ्यों के आलोक में एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा दिनांक **28.07.2022** से प्रभावी वर्त्तमान अनुसूचित दर (SOR) पर तैयार किये गये सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति के आधार पर उक्त योजना उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिये योजना के नाम के समक्ष स्तंभ 06 में अंकित तकनीकि स्वीकृति की राशि यानि कुल **मो0 24.99765 लाख (चौबीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ पैंसठ)** रू0 पर District Mineral Fund के अंतर्गत कार्यान्वयन कराने/स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Managing Committee की बैठक में लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के द्वारा अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

11. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, धनबाद **के पत्रांक—59, दिनांक** 16.01.2023 के द्वारा दिनांक **28.07.2022** से प्रभावी वर्त्तमान अनुसूचित दर (SOR) पर तैयार कर सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर District Mineral Fund के अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है जिससे संबंधित विवरण निम्न है एवं निम्न विवरणी के अनुसार योजना के नाम के समक्ष स्तंभ—05 में अंकित तकनीकि स्वीकृति की राशि पर District Mineral Fund के अंतर्गत प्रसंगाधीन योजना का कार्यान्वयन कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयेाजित DMFT Managing Committee की बैठक मे लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के अनुमोदन का प्रस्ताव हैः—

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य0अभि0, ग्रा0का0प्र0, धनबाद का पत्रांक एवं दिनांक	प्रखण्ड का नाम	योजना/कार्य का नाम	दिनांक 28.07.2022 से प्रभावी SOR पर प्रदत्त तकनीकि स्वीकृत की राशि	DMFT Governing Council के द्वारा स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	59/ 16.01.2023	धनबाद नगर निगम	Construction of road from Tilaitand to Mohnad via Pipratand	309.848	309.848
			Total	**309.848**	**309.848**

निर्णयः— उक्त तथ्यों के आलोक में एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा दिनांक **28.07.2022** से प्रभावी वर्त्तमान अनुसूचित दर (SOR) पर तैयार किये गये सक्षम तकनीकि पदाधिकारी से प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति के आधार पर उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिये योजना के नाम के समक्ष स्तंभ—05 में अंकित तकनीकि स्वीकृति की राशि यानि कुल **मो0 309.848 लाख (तीन करोड नौ लाख चौरासी हजार आठ सौ)** रू0 पर District Mineral Fund के अंतर्गत कार्यान्वयन कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Managing Committee की बैठक में लिये गये निर्णय पर DMFT Governing Council के द्वारा अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

12. अन्य नई योजनाओ की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव—

दिनांक 19.01.2023 को आयोजित DMFT Managing Committee की बैठक मे लिये गये निर्णय के क्रम में DMFT Governing Council के द्वारा जनहित में निम्नांकित उपयोगी योजनाओं की District Mineral Fund के अंतर्गत स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया—

I. जिला मुख्यालय के वासेपुर के पाण्डरपाला में मिल्लत कॉलोनी के नजदीक रेलवे लाईन के उपर Foot Over Bridge के निर्माण हेतु Sr. Divisional Engineer (Co-Ord), East Centeral Railway, Dhanbad के पत्रांक–**W.500/Drg./Pt-XII/FOB**, दिनांक **23.12.2022** के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर District Mineral Fund के अंतर्गत प्रसंगाधीन योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लागत राशि **मो0 341.97627 लाख (तीन करोड इकतालीस लाख संतानवे हजार छः सौ सत्ताईस) रू0 +** देय Tax की कुल राशि पर District Mineral Fund के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

II. जिला समाज कल्याण के अन्तर्गत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा सरकारी विद्यालयों में Pre-School Innovative Learning Kit की आपूर्ति कराने की स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि पूर्व में DMFT मद या किसी अन्य मद से संबंधित विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में Pre-School Innovative Learning Kit की आपूर्ति की गई या नहीं एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में ही योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ताकि इस योजना में किसी भी प्रकार की Duplicacy की संभावना नही रहे।

III. धनबाद जिलान्तर्गत आवासीय विद्यालयों/कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयो/मॉडल स्कूलो/लीडर स्कूलो जहां चाहरदीवारी की संरचना निर्मित है, में Open Gym-Cum Physical Activities Play Area Development योजना की स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

IV. धनबाद जिला के SHG एवं Enterprenures के द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करने एवं बाजार से जोडने तथा धनबाद जिला के युवाओं/युवतियों को स्वरोजगार एवं आजीविका उपलब्ध कराने हेतु PMKKKY Guidelines की कंडिका–2.1.G में Skill Development Sector के अंतर्गत Income Generation & Economy Activity for Local Elegible Person की अनुमान्यता के परिपेक्ष्य में जिला मुख्यालय अवस्थित पुराना बाजार, धनबाद में जिला परिषद्, धनबाद के भू–भाग में Marketing Complex के निर्माण हेतु अनुमानित राशि **मो0 30.00 (तीस) करोड रू0** की स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

V. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा के पत्रांक–**89**, दिनांक **10.01.2023** के अनुशंसा के आलोक में बाघमारा प्रखण्ड अन्तर्गत इंदिरा चौक से प्रखण्ड होते हुए भीमकनाली हीरक रोड़ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण हेतु अनुमानित राशि **मो0 62.00 लाख रू0** पर स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

VI. जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक–**1722,** दिनांक **09.09.2021** के द्वारा जिला मुख्यालय अवस्थित राज्य पुस्तकालय, धनबाद के सुदृढीकरण एवं इसमे आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य पुस्तकालय, धनबाद के वर्त्तमान भवन एवं इसके शौचालय का जीर्णोद्धार, पुस्तको की सुरक्षा हेतु Book Self एवं अन्य सामग्रियों का क्रय, Study Room के लिए Air Cooler, Electric Bulb/Tubelight, Fan, Internet, Computer System with Printer, News Papers/Magazines, Furnitures इत्यादि का क्रय तथा भवन परिसर के खाली भू–भाग में एक शेड के निर्माण कराने की स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

VII. जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद के अनुशंसा के आलोक में धनबाद जिला के तोपचॉची प्रखण्ड के आदिम जनजाति ग्राम चलकरी में किसान प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण योजना की स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

VIII. धनबाद जिलान्तर्गत स्वंय सहायता समूहों के महिलाओं एवं पुरूषों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु गारमेंट उद्योग क्षेत्र में प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र की District Mineral Fund के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा इस योजना हेतु प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र के लिए भवन व अन्य संरचना निर्माण, मशीन/उपकरण का क्रय व केन्द्र संचालन हेतु अन्यान्य खर्च का वहन District Mineral Fund के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया।

IX. धनबाद जिलान्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्रो में शिशुओं के देखभाल एवं उनके शिक्षा हेतु उपकरण के क्रय में Bala के तर्ज पर मॉडल ऑगनबाडी केन्द्र के निर्माण योजना की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

X. धनबाद जिले के सभी 633 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में किशोरियों के लिए Incinerator and Pad vending machines लगाने से संबंधित योजना की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति District Mineral Fund के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ।

XI. धनबाद जिला अवस्थित पाईप लाईन जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं में से Pilot mode में 05 योजनाओं का सोलराइजेशन करने एवं इन योजनाओं का Feasibility Report व अन्य मानको से संबंधित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–01 एवं सं0–02 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरांत विभागीय प्रावधानों के आलोक में प्रसंगाधीन 05 पाईप लाईन जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं की District Mineral Fund के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

XII. धनबाद जिले के प्रत्येक प्रखण्ड के 05 एवं नगर निगम क्षेत्र के 05 विद्यालयों को चिन्हित कर समग्र शिक्षा अभियान के तर्ज पर 55 विद्यालयों में Integrated Math's & Science Lab की स्थापना से संबंधित योजना की District Mineral Fund के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

XIII. धनबाद जिले के चिन्हित सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में RO Purifier का अधिष्ठापन से संबंधित योजना की District Mineral Fund के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

XIV. धनबाद जिले के सदर अस्पताल, धनबाद एवं अन्य विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रो में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के अधिष्ठापन से संबंधित योजना की District Mineral Fund के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

XV. धनबाद जिले के सहयोगी नगर अवस्थित वृद्धा आश्रम में मूलभूत सुविधा हेतु Solar Power Backup, Solar Water Heater एवं आश्रम के परिसर में Solar Street Light के अधिष्ठापन से संबंधित योजना की District Mineral Fund के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ।

XVI. धनबाद जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में 05 एवं नगर निगम क्षेत्र में 05 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिन्हित 55 विद्यालयों में ICT LAB के अधिष्ठापन से संबंधित योजना की District Mineral Fund के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

XVII. धनबाद जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों यथा–SNMMCH, Sadar Hospital, CHCs, UPHCs, PHCs एवं HWCs में Indian Public Health Standards (IPHS) norms के अनुरूप सर्वेक्षण के क्रम में संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में की जाने वाली Gap Assessement के अनुरूप मूलभूत संरचना का निर्माण, आवश्यक उपकरण के क्रय इत्यादि से संबंधित योजना की District Mineral Fund के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ।

XVIII. धनबाद जिला के सभी प्रखण्डो के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/+2 उच्च विद्यालयों तथा ऑगनबाडी केन्द्रो में जहॉ शौचालय की सुविधा उपलब्ध नही है, में छात्रों की संख्या के अनुपात में मानक के अनुरूप सामुदायिक शौचालय (पेयजलापूर्ति की सुविधा सहित) का निर्माण विभागीय निधि के अतिरिक्त District Mineral Fund के अंतर्गत कराने हेतु सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ऐसे विद्यालयों एवं ऑगनबाडी केन्द्रो की सूची क्रमशः जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

XIX. जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के अनुशंसा के आलोक में कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित निम्न विवरण के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रावासों के पूर्व निर्मित आधारभूत संरचना का जीर्णोद्धार, आवश्यक आधारभूत संरचना के नवनिर्माण से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन तथा आवश्यक उपस्करों का क्रय विभागीय निधि के अतिरिक्त District Mineral Fund के अंतर्गत करने हेतु सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया–

क्र0	प्रखण्ड का नाम	छात्रावास का नाम	कोटि	शैयया
01	धनबाद सदर	SC Boys Hostel, Chiragora, Dhanbad	SC	25
02	धनबाद सदर	ST Boys Hostel, Chiragora, Dhanbad	ST	25
03	धनबाद सदर	SC Girls Hostel Combined Building, Dhanbad	SC	50
04	धनबाद सदर	BC Girls Hostel SSLNT Girls H.S bank More, Dhanbad	BC	50
05	धनबाद सदर	BC Boys Hostel, H.E. School, Dhanbad	BC	50
06	धनबाद सदर	SC Girls Hostel, Abhay Sundari Balika H.S, Dhanbad	SC	50
07	धनबाद सदर	Minority Girls Hostel, Al Ekra Teacher Training College, Govindpur	Min	50

XX. धनबाद जिला के कस्तुरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालयों, झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालयों, समर्थ आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सरकारी आवासीय विद्यालयों में आवश्यक उपस्करो का क्रय विभागीय निधि के अतिरिक्त District Mineral Fund के अंतर्गत करने हेतु सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

XXI. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक–787/DHS, दिनांक 19.09.2022, जिला नजारत उपसमाहर्त्ता–सह–इन्सीडेन्ट कमांडर , धनबाद के पत्रांक–187, दिनांक 16.06.2022, जिला शिक्षा अधीक्षक– सह–इन्सीडेन्ट कमांडर , धनबाद के पत्रांक–227, दिनांक 25.01.2022 तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सह–इन्सीडेन्ट कमांडर , धनबाद के पत्रांक–58, दिनांक 25.01.2022 के अनुशंसा के आलोक में रेलवे स्टेशन, धनबाद तथा बस स्टेशन, धनबाद में दिनांक 21.09.2021 से दिनांक 21.03.2022 तक कोविड–19 के संक्रमण की जॉच से संबंधित CMS, SRF Entry & Screening में कार्य करने वाले VLEs को प्रति कार्य दिवस **मो0 300.00 रू0** की प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु **भारत सरकार के परिपत्र सं0–DO. NO. 07/02/2020-MIV, दिनांक 28.03.2020** में अंकित निर्देश के परिपेक्ष्य में District Mineral Fund के अंतर्गत **मो0 14.388 लाख (चौदह लाख अड़तीस हजार आठ सौ)** रू0 की राशि पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

XXII. बी0एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय, कम्बाईड बिल्डिंग कैम्पस, धनबाद को आदर्श विद्यालय–सह–School of Excellence के रूप में विकसित करने हेतु पूर्व निर्मित आधारभूत संरचना के जीर्णोद्धार, आवश्यक आधारभूत संरचना के नव निर्माण तथा आवश्यक मशीनरी/उपस्करों का क्रय District Mineral Fund के अंतर्गत करने हेतु सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अंत में सधन्यवाद उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, धनबाद के द्वारा बैठक के कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

जिला खनन पदा0, धनबाद।	जिला पंचायती राज पदा0, धनबाद।	सिविल सर्जन, धनबाद।	जिला योजना पदा0 –सह–नोडल पदा0, DMFT, धनबाद।
वन प्रमण्डल पदा0, धनबाद।	उप विकास आयुक्त –सह–सदस्य सचिव, DMFT, धनबाद।	वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद।	उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, DMFT, धनबाद।

ज्ञापांक 56 **/DMFT,** **दिनांक** 28 / 01 / 2023

प्रतिलिपिः– जिला योजना पदा0–सह–नोडल पदा0, DMFT, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, धनबाद के न्यास परिषद के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त
–सह–सदस्य सचिव,
DMFT, धनबाद।